

शपथ अधिनियम, 1969

(1969 का अधिनियम संख्यांक 44)

[26 दिसम्बर, 1969]

न्यायिक शपथों से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए
तथा कतिपय अन्य प्रयोजनों के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के बीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार—(1) यह अधिनियम शपथ अधिनियम, 1969 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार ¹*** संपूर्ण भारत पर है।

2. कतिपय शपथों और प्रतिज्ञानों की व्यावृत्ति—इस अधिनियम की कोई बात सेना-न्यायालयों के समक्ष की कार्यवाहियों की या संघ के सशस्त्र बलों के सदस्यों की बाबत केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित शपथों, प्रतिज्ञानों या घोषणाओं को लागू नहीं होगी।

3. शपथें दिलाने की शक्ति—(1) निम्नलिखित न्यायालयों और व्यक्तियों को यह शक्ति होगी कि विधि द्वारा उन पर अधिरोपित कर्तव्यों के निर्वहन में या उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, वे स्वयं या धारा 6 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अपने द्वारा इस निमित्त सशक्त किए गए किसी अधिकारी द्वारा शपथ दिलाए और प्रतिज्ञान कराए, अर्थात् :—

(क) सब न्यायालय और साक्ष्य लेने के लिए विधि-अनुसार या पक्षकारों की सम्मति से प्राधिकृत सब व्यक्ति ;

(ख) किसी ऐसे सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक स्टेशन या पोत का, जो संघ के सशस्त्र बलों के अधिभोग में हो, कमान आफिसर, परन्तु यह तब जब स्टेशन की सीमाओं के भीतर शपथ दिलाई जाए या प्रतिज्ञान कराया जाए।

(2) उपधारा (1) द्वारा या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह है कि कोई भी न्यायालय, न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या व्यक्ति शपथ-पत्रों के प्रयोजन के लिए उस दशा में शपथ दिला और प्रतिज्ञान करा सकेगा, जब उसे—

(क) न्यायिक कार्यवाहियों के प्रयोजन के लिए शपथ-पत्रों की बाबत, उच्च न्यायालय द्वारा ; अथवा

(ख) अन्य शपथ-पत्रों की बाबत, राज्य सरकार द्वारा,

इस निमित्त सशक्त किया गया हो।

4. साक्षियों, दुभाषियों और जूरी-सदस्यों द्वारा शपथ ली जाना या प्रतिज्ञान किया जाना—(1) निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा शपथें ली जाएंगी या प्रतिज्ञान किए जाएंगे, अर्थात् :—

(क) सब साक्षी, अर्थात् सब व्यक्ति, जो किसी न्यायालय द्वारा उसके समक्ष अथवा ऐसे व्यक्तियों की परीक्षा करने या साक्ष्य लेने के लिए विधि-अनुसार या पक्षकारों की सम्मति से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा या उसके समक्ष विधिपूर्वक परीक्षित किए जा सकते हैं अथवा साक्ष्य दे सकते हैं या देने के लिए अपेक्षित किए जा सकते हैं ;

(ख) साक्षियों से किए गए प्रश्नों और उनके द्वारा दिए गए साक्ष्य के दुभाषिए; तथा

(ग) जूरी-सदस्य :

परन्तु जहां साक्षी बारह वर्ष से कम आयु का बालक हो और उस न्यायालय या व्यक्ति को, जिसे उस साक्षी की परीक्षा करने का प्राधिकार हो, यह राय हो कि यद्यपि साक्षी सत्य बोलने के कर्तव्य को समझता है किन्तु वह शपथ या प्रतिज्ञान की प्रकृति को नहीं समझता वहां इस धारा के पूर्वगामी उपबन्ध और धारा 5 के उपबन्ध उस साक्षी को लागू नहीं होंगे ; किन्तु ऐसे किसी मामले में शपथ या प्रतिज्ञान का अभाव न तो किसी ऐसे साक्षी द्वारा दिए गए साक्ष्य को अग्राह्य बनाएगा और न उस साक्षी की सत्य कथन करने की बाध्यता पर प्रभाव डालेगा।

(2) इस धारा की कोई बात किसी दाण्डिक कार्यवाही में अभियुक्त व्यक्ति को शपथ दिलाना या प्रतिज्ञान कराना तब के सिवाय विधिपूर्ण नहीं करेगी जब उसकी परीक्षा प्रतिरक्षा पक्ष के साक्षी के रूप में की जाए और न वह किसी न्यायालय के शासकीय दुभाषिए के अपने पद के कर्तव्यों का निष्पादन आरम्भ कर चुकने के पश्चात् उसे यह शपथ दिलाना या प्रतिज्ञान कराना कि वह उन कर्तव्यों का निर्वहन निष्ठापूर्वक करेगा, आवश्यक बनाएगी।

¹ 2019 के अधिनियम सं० 34 की धारा 95 और पांचवी अनुसूची द्वारा (31-10-2019 से) “जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय” शब्दों का लोप किया गया।

5. प्रतिज्ञान करने की वांछा करने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रतिज्ञान—साक्षी, दुभाषिए या जूरी-सदस्य शपथ लेने के बजाय प्रतिज्ञान कर सकेगा।

6. शपथ और प्रतिज्ञान के प्ररूप—(1) धारा 4 के अधीन ली गई सभी शपथें और किए गए सब प्रतिज्ञान, अनुसूची में दिए गए प्ररूपों में से किसी एक प्ररूप के अनुसार ली जाएंगी या किए जाएंगे जो मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त हो :

परन्तु यदि किसी न्यायिक कार्यवाही में कोई साक्षी किसी ऐसे प्ररूप में शपथ या सत्यनिष्ठित प्रतिज्ञान पर शपथ देने की वांछा करे जो उस वर्ग के, जिसका वह हो, व्यक्तियों में सामान्य हो या उनके द्वारा आबद्धकर समझा जाता हो तथा जो न तो न्याय या शिष्टता के विरुद्ध और न किसी पर-व्यक्ति पर प्रभाव डालने के लिए तात्पर्यित हो तो, इसमें इसके पूर्व किसी बात के होते हुए भी, न्यायालय, यदि वह ठीक समझे तो, उसे ऐसी शपथ या प्रतिज्ञान पर साक्ष्य देने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(2) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों से भिन्न सब न्यायालयों में ऐसी सब शपथें और प्रतिज्ञान न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं अथवा न्यायाधीशों या मजिस्ट्रेटों की न्यायपीठ की दशा में, यथास्थिति, उनमें से किसी एक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा दिलाई जाएगी या कराए जाएंगे।

7. शपथ के लोप या अनियमितता से कार्यवाहियों और साक्ष्य का अविधिमान्य न होना—शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने का कोई लोप, उनमें से किसी एक के स्थान पर दूसरे का कोई प्रतिस्थापन और किसी शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान कराने में, या जिस रूप में उसे दिलाया या कराया जाए उसमें, कोई अनियमितता न तो किसी कार्यवाही को अविधिमान्य बनाएगी और न किसी भी, ऐसे साक्ष्य को, जिसमें या जिसकी बाबत ऐसा लोप, प्रतिस्थापन या अनियमितता हुई हो, अग्राह्य बनाएगी, और न वह साक्षी की सत्य कथन करने की बाध्यता पर ही प्रभाव डालेगी।

8. साक्ष्य देने वाले व्यक्तियों का सत्य कथन करने के लिए आबद्ध होना—किसी न्यायालय या ऐसे व्यक्ति के समक्ष, जिसे शपथें दिलाने और प्रतिज्ञान कराने के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत किया गया है, किसी भी विषय पर साक्ष्य देने वाला प्रत्येक व्यक्ति उस विषय पर सत्य कथन करने के लिए आबद्ध होगा।

9. निरसन और व्यावृत्ति—(1) भारतीय शपथ अधिनियम, 1873 (1873 का 10) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) जहां इस अधिनियम के प्रारम्भ पर लम्बित किसी कार्यवाही में पक्षकारों ने किसी ऐसे शपथ या प्रतिज्ञान से आबद्ध रहने का करार किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 8 में विनिर्दिष्ट है, वहां उक्त अधिनियम के निरसन के होते हुए भी उक्त अधिनियम की धारा 9 से 12 तक के उपबन्ध उस करार के संबंध में उसी तरह लागू बने रहेंगे मानो यह अधिनियम पारित न हुआ हो।

अनुसूची
(धारा 6 देखिए)
शपथों या प्रतिज्ञानों के प्ररूप

प्ररूप संख्यांक 1 (साक्षी) :—

ईश्वर की शपथ लेता हूं
मैं _____ कि मैं जो कुछ कथन करूंगा वह सत्य होगा, सम्पूर्ण सत्य होगा और सत्य के सिवाय
सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं
कुछ न होगा।

प्ररूप संख्यांक 2 (जूरी सदस्य) :—

ईश्वर की शपथ लेता हूं
मैं _____ कि मैं विचारण भली-भांति और सच्चाई से करूंगा और राज्य के और उस (उन)
सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं
विचाराधीन बन्दी (बन्दियों) के, जिसके (जिनके) विचारण का भार मुझ पर होगा, बीच सच्ची राय दूंगा और साक्ष्य के अनुसार सच्चा
अभिमत दूंगा।

प्ररूप संख्यांक 3 (दुभाषिए) :—

ईश्वर की शपथ लेता हूं
मैं _____ कि मैं उन सब प्रश्नों का, जो साक्षियों से किए जाएंगे और उनके द्वारा दिए गए साक्ष्य
सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं
का भली-भांति और सच्चाई के साथ भाषान्तर और स्पष्टीकरण करूंगा तथा अनुवाद के लिए मुझे दी गई सभी दस्तावेजों का ठीक-ठीक
और शुद्ध अनुवाद करूंगा।

प्ररूप संख्यांक 4 (शपथ-पत्र) :—

ईश्वर की शपथ लेता हूं
मैं _____ कि यह मेरा नाम और हस्ताक्षर (या चिह्न) है और मेरे शपथ-पत्र की अन्तर्वस्तु
सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं
सम्पत्ति ही है।
